

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए) परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / - जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत दिव्य विहार से अम्बीवाला गुरुद्वारा रिंग रोड तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.098 हेक्टेन भूमि का लोनिंगिंग को हस्तान्तरण।
शासनादेश संख्या 2550 / III(2) / 16-19 (प्रा०आ०) / 2016
दिनांक 04.10.2016
सलंगनक - 7 पर संलग्न हैं।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि - और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
- ग) परियोजना की लागत। -
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये - जानेके लिए)
- लाख स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं राजधानी देहरादून को जाने हेतु एक अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग से जोड़ना उक्तानुसार।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध होग।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: - स्थानीय जनता एवं पर्यटकों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
- क) परिवारों की संख्या - कोई नहीं।
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - कोई नहीं।
- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - आवश्यकता नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 - नहीं।
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ / नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) - संलग्नक - पर संलग्न।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा। - संलग्न हैं।

दिनांक 19/12/2016

स्थान.....

सहायक अभियन्ता
अ० खण्ड लोनिंगिंग,
ऋषिकेश

अधिशासनी अभियन्ता
अ० खण्ड लोनिंगिंग,
ऋषिकेश

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

ii) जिला

iii) वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैकटेयर में)

v) वन की कानूनी स्थिति

vi) हरियाली का घनत्व

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि

श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

ii) जिला

iii) वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

v) वन की कानूनी स्थिति

vi) हरियाली का घनत्व

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि

श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन

शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,

प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः

उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

i. जिला का वन क्षेत्र।

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल

प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

..... तक प्रतिपूरक वनीकरण

में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने

के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।

15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।

16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान.....

हस्ताक्षरः
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.3

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
 या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
 विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
 (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
 अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
 टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये
 और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:
 नाम और पदनाम
 सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17— राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग—।। या भाग—।।। या
भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षरः
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर